UPBJ010059922020

न्यायालय अपर जिला जज, कोर्ट नंबर–03, बिजनौर।
पीठासीन अधिकारीः– श्री हनी गोयल, उच्चतर न्यायिक सेवा. UP02408

मूलवाद सं0(लघुवाद)–14/2020
अनुपम विजय गुप्ता बनाम नुरेमुजम्मिल आदि

दिनांक 31–01–2024

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र ग–71 नियत है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र ग–71 पर सुना।

प्रार्थना पत्र ग–71 वादी की ओर से प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादी तैयारी के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि वाद पत्र में मांगे गये अनुतोष पैरा नं0 26(अ) में सहवन गलती किताबत एवं टाईप की भूल से दखल तलब दुकान को भूतल के स्थान पर प्रथम तल पर स्थित होना टाईप हो गया है, जबकि वाद पत्र ग–3 के अन्त में तालिका (अ) वादग्रस्त दुकान नं0 22 भूतल पर स्थित होना लिखा है तथा दावे से पूर्व किये गये नोटिस दिनांक 5/06–02–2018 में भी वाद ग्रस्त दुकान को भूतल पर स्थित होना लिखा हुआ है। ऐसी अवस्था में वाद पत्र में इस किताबत व टाईप की भूल को सही करने हेतु संशोधन की आवश्यकता है। याचना की गयी है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित संशोधन वाद पत्र में करने की अनुमति दी जाये।

उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए लिखित आपत्ति का समय मांगा गया। पर्याप्त समय के उपरान्त भी उत्तरदाता की ओर से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ग–71 में वर्णित तथ्यों के माध्यम से प्रस्तुत वाद में दाखिल वाद पत्र ग–3 में संशोधन किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने याचना की गयी है। उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया परन्तु प्रार्थना पत्र पर कोई लिखित आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है। प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थना पत्र ग–71 के माध्यम से जो संशोधन चाहा गया है, उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति नहीं बदलती है। उक्त संशोधन प्रार्थना पत्र

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2024.01.31 16:11:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

शपथ पत्र से समर्थित है। अतः न्यायहित में वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र ग–71 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र ग–71 हर्जा 300/–रूपये पर स्वीकार किया जाता है। अन्दर सप्ताह हर्जा अदायगी के उपरान्त संशोधन प्रार्थना पत्र ग–71 के द्वारा चाहा गया आवश्यक संशोधन वाद पत्र में किया जाये। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 16–02–2024 को पेश हो।

(हनी गोयल)

दिनांकः 31–01–2024

अपर जिला जज, कोर्ट नं0–3,
बिजनौर।
J.O. Code- U.P.-02408